बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या–25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक एवं विज्ञापन संख्या–26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित तांती (ततवा) जाति के अभ्यर्थियों के लिए

आवश्यक सूचना

Civil Appeal No- 18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या–11/आ॰–न्याय–73/2024 12679/सा॰प्र॰, दिनांक–12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

विज्ञापन संख्या–25/2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं विज्ञापन संख्या–26/2024 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल तांती (ततवा) जाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति (02) कोटि के आधार पर पान/स्वासी जाति का दावा किया है, को निदेश दिया जाता है कि वे अपने Username एवं Password से Login करते हुए दिनांक–02.09.2024 से 23.09.2024 तक अपनी जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) कोटि के तहत तांती (ततवा) अवश्य सुधार करते हुए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

यदि दिनांक–23.09.2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

23.8.2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना